उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-3

संख्या-02/2025/21/23-3-2025-02(जनरल)/2004

सखनऊः दिनांक: 07 जनवरी, 2025

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्री प्रकाश बिन्दु एवं श्री भूपेन्द्र एस0 चौधरी द्वारा सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद का कार्यभार ग्रहण करने फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जाने वाली समस्त पत्रावलियां सचिव के माध्यम से प्रस्तुत की जायं। सचिवगण अपने-अपने प्रभार से सम्बन्धित अनुभागों के चालू कार्य, अधिशासी अभियंता एवं उससे निम्न स्तर के अधिकारियों के आरोप-पत्र तथा मा0 न्यायालय के वादों के प्रतिशपथ पत्र, वित्त, कार्मिक व न्याय विभाग को सामान्य परामर्श हेतु सन्दर्भित की जाने वाली पत्रावलियों आदि पर अनुमोदन एवं प्रतिहस्ताक्षरण अपने स्तर से करेंगे। साथ ही जिन कार्यों का स्तर निर्धारण करने संबंधी आदेश निर्गत हैं यथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-812/23-3-08-38(जनरल)/07 दिनांक: 25 फरवरी, 2008 कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2110/23-3-13-38(जनरल)/07, दिनांक: 05 जुलाई, 2013, सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 का कार्यालय- ज्ञाप संख्या-1522/20-1-ई-2017-603(10)/17, दिनांक: 10 अगस्त, 2017 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1391/23-3-13-38(जनरल)/2017, दिनांक: 03 जुलाई 2004 के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी प्रकरणों में सम्बन्धित पत्रावलियों का निस्तारण सचिव स्तर पर किया जाय:-

(1) नीतिगत प्रकरण तथा जो पत्रावलियाँ मा0 मंत्री जी, मा0 राज्य मंत्री जी अथवा मुख्य सचिव को प्रस्तुत की जानी है, उनको छोड़कर समस्त पत्रावलियों का अन्तिम निस्तारण सचिव स्तर पर किया जाएगा।

(2) विधान सभा/विधान परिषद की मा0 समितियों को प्रस्तुत होने वाले उत्तर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अनुमोदन उपरान्त सम्बन्धित मा0 समिति को प्रेषित किया जाए।

(3) वित्त विभाग को प्रस्तुत होने वाले आय-व्ययक के प्रस्ताव अथवा एसएनडी प्रस्ताव एवं पुनर्विनियोग प्रस्ताव सम्बन्धी पत्रावलियां भी अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरान्त वित्त विभाग को प्रस्तुत हो।

(4) महाधिवक्ता को न्याय विभाग के माध्यम से अभिमत हेतु प्रेषित किए जाने वाले प्रकरणों पर अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरान्त ही न्याय विभाग को वापस किया जाए।

(5) नवीन मार्गों, पुलों आदि की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से ही उच्च स्तर पर प्रेषित किये जायेंगे।

(6) नाबार्ड, ए0डी0बी0, अन्य वित्तीय संस्थाओं को वित्त पोषण हेतु प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरान्त ही अंतिम किये जायेंगे।

(7) मा0 मंत्रि-परिषद को प्रेषित किए जाने वाले प्रकरण एवं मा0 मंत्रि-परिषद के निर्णय के क्रम में निर्गत आदेशों के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही सम्पादित हो।

(8) समीक्षा अधिकारियों की तैनाती एवं स्थानान्तरण तथा इनके विरूद्ध जांच के प्रकरण।

2- सचिव, यदि किसी पत्रावली विशेष पर उपर्युक्त वर्णित प्रकरणों को छोड़कर अन्य किसी प्रकरण की महत्ता एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर पत्रावली प्रस्तुत करना चाहें तो तदनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव।

संख्या-02/2025/21(1)/23-3-2025, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) लोक निर्माण सचिव शाखा के समस्त अधिकारीगण/समस्त अनुभाग।

(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।